HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2799/2026

Prabhudayal S/o Kisana, Aged About 66 Years, R/o Presently Guwada Branch Jhiree, Police Station Pratap Nagar, District Alwar (Raj.) (At Present Confined In Central Jail Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Yeswant Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

25/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–क्षेत्रीय वन अधिकारी थानागाजी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **90/47** अपराध अन्तर्गत धारा 9, 39, 52/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त 66 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। वास्तव में बघेरा उनकी बकरियों को खा जाता था, इसलिए उसने अपने खेत की रक्षा के लिए तार लगा रखे थे। इन तारों में फंसकर बघेरा मर गया था। वह निर्दोष है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 28.1.2026 से निरन्तर अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि बघेरे को पकडने व मारने के लिए प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा तार का फंदा बनाया गया था, जिसमें लकडी भी लगाई गई थी तथा इस फंदे में फंसने के कारण बघेरे की मृत्यु हुई थी। स्वयं अभियुक्त ने धारा 50(8) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यहीं तथ्य प्रकट किए हैं। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 9, 39, 52/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का अभियोग है। मामले में अभी अनुसंधान चल रहा है। गंभीर अपराध है। अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार दिनांक 26.1.2026 को परिवादी/वन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिलने पर जब वे समय 2.15 पी एम पर मौके पर पहुंचे तो वहां एक मृत नर बघेरा कमर पर तार का फंदा में फंसा हुआ व पेड पर उल्टा लटका हुआ पाया गया। अनुसंधान के दौरान प्रार्थी–अभियुक्त से धारा 50(8) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किए गये, जिसमें प्रार्थी–अभियुक्त ने प्रकट किया कि उसके पास पांच–छह बीघा खातेदारी जमीन है तथा पूर्व में बघेरे ने उनकी बकरी खा ली थी, जिसके कारण उसने घर पर ही तार का फंदा बनाकर बाड़ में लगा दिया, जिसमें वो फंस गया। उसने यह भी कथन किया कि उसने बघेरे को बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन बचा नहीं सका। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया गया है। वह 66 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 28.1.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले

में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /78